

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक स.3-6(3)स्था/मंत्रा/अभि/2017/ 5859-901


दिनांक : 11/5/18

-: आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पदों पर विभागीय पदोन्नति की अनुशंसा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के वेतन बैंड (1) 5200-20200 तथा ग्रेड पे (9) 2400/ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 में पे मेट्रिक्स लेवल-5 में (सन्दर्भानुसार) पदोन्नत किया जाता है।


क्र.स.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम कार्मिक	आरक्षण वर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति दिनांक	की विशेष विवरण
1.	268	श्री फारूल बांगर पुत्र श्री ओमप्रकाश	सामान्य	2014-15	01.04.2014	
2.	221	श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री सेडूराम	एस.सी.	2015-16	01.04.2015	
3.	258	श्रीमति भगवती पत्नी स्व. श्री दुर्गादास	सामान्य	2015-16	01.04.2015	
4.	220	श्री रमेश चन्द वर्मा पुत्र श्री टेकचंद	एस.सी.	2016-17	01.04.2016	
5.	176	श्री इन्द्राज मीणा पुत्र श्री मनीराम	एस.टी.	2017-18	01.04.2017	
6.	193	श्री भँवर लाल पुत्र श्री सोहन लाल	सामान्य	2018-19	01.04.2018	
7.	214	श्री सीताराम रावत पुत्र श्री रामजी लाल	सामान्य	2018-19	01.04.2018	

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों में क्रं. सं. 1 को कार्यालय उप निदेशक अभियोजन अजमेर के स्थान पर कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन अजमेर में तथा क्रं. 2 से 7 तक के कार्मिकों को वर्तमान कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। पदोन्नति पर इनका वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक 13(5)सा.प्र./3/2008 जयपुर दिनांक 30.04.2018 के द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।


(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
4. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर